कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बैजरौ (गढ़वाल)
Office of The Executive Engineer, Construction Division P.W.D. Baijro (Garhwal)
E-mail : eepwdbaijro@rediffmail.com, eepwdbaijro01@gmail.com

उत्तराखण्ड शासन

पत्रांकः– 1229/14 सी0 दिनांकः– 15/07/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग,
पौडी (गढ़वाल)

विषय– जनपद पौड़ी गढ़वाल में विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल विकासखण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत मोरोबैण्ड से धोबीघाट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.99 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक 4112/12–1 दिनांक 10.06.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग का ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या 1657/FP/UK/ROAD/40720/2019 की सैद्वान्तिक स्वीकृति उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 73 /X–3–20/I/(08) 2020 दिनांक 03.02.2020 द्वारा प्राप्त है। विधिवत स्वीकृति प्राप्त करने हेतु शर्तो का बिन्दुवार अनुपालन निम्नानुसार है।

क0 सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्त अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासशोधित) जमा की जायेगी।	प्रयोक्त एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0 505571.00 दि0 06.08.2020 को चालान संख्या 6140720385 उत्तरांचल कैम्पा के नाम विभाग द्वारा जमा की जा चुकी है।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार पत्र सं0–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02. 2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रयोक्त एजेन्सी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटिशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0स0 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एम0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) को निर्धारित धनराशि रू0 650430.00 दि0 06.08.2020 को चालान संख्या 6140720385 उत्तरांचल कैम्पा के नाम विभाग द्वारा जमा की जा चुकी है।
3	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्वता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	वर्तमान में अगर एन0पी0वी0 की दरों में बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने की बचनवद्वता का प्रमाण पत्र संलग्न है।
4	प्रयोक्त अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दि0 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0वी0पी0) तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधोरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय लेखा सं0 एस0बी0–25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकम) बलाक–11 भूतन सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स फेज–1 लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राप्ट/चेक की धनराशि सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	प्रयोक्त एजेन्सी द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एम0सी0 दि0 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पीवी0 की धनराशि रू0 650430.00 रोड साईड वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो के रखरखाव हेतु रू0 505571.00 कुल रू0 1156001.00 की धनराशि दि0 11.08.2020 को चालान संख्या 6140720385 उत्तरांचल कैम्पा के नाम विभाग द्वारा जमा की जा चुकी है, (छायाप्रति संलग्न)।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिये जनपद कार्यबल की सस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा।	प्रयोक्त एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिये जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भ–वैज्ञानिक के सुझावों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा।

6	प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण–पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	प्रयोक्त एजेन्सी के द्वारा वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभीलेखों/ प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जायेगा (छायाप्रति संलग्न))
7	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नही होने अथवा असंताषजनक अनुपालन होगे की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	प्रयोक्त एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित निर्धारित शर्तो का अनुपालन किया जायेगा।
8	उपररोक्त शर्तो के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	उपरोक्तनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति उपरान्त विधिवत स्वीकृति प्राप्त करने हेतु समस्त निहित शर्तो का अनुपालन किया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार प्रयोक्त एजेन्सी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति उपरान्त विधिवत स्वीकृति प्राप्त करने हेतु समस्त निहित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि उक्त मोटर मार्ग की विधिवत स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव अपने स्तर से भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु पर्यावरण मंत्रालय क्षेत्री कार्यालय 25 सुभाष रोड देहरादून को अग्रसारित करने का कष्ट करें।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

1/7/24

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड़, लो0नि0वि0,
बैजरौ (गढ़वाल)

पत्रांकः– /14 सी0 दिनांकः– / /

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षण (केन्द्रीय) भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु प्र्यावरण मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय 25 सुभाष रोड देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौडी गढ़वाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी, पौडी गढ़वाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड़, लो0नि0वि0,
बैजरौ (गढ़वाल)